



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

हाई स्कूल

परीक्षा 200.....

के

नवीन मान्यता हेतु

अशासकीय संस्थाओं के लिए

आवेदन फार्म

1. मान्यता विनियम 1994
2. मापदण्ड संबंधी निर्देश

सामान्य निर्देश

01. नवीन मान्यता आवेदन पत्र तीन प्रतियों में संलग्न है। प्रथम दो प्रतियाँ भरकर मण्डल को प्रस्तुत करना है। तीसरी प्रति संस्था के रिकार्ड हेतु है।
02. आवेदन भरने के पूर्व निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ लें। आवेदन पत्र पर चाही गई प्रविष्टियाँ सुवाच्य लिपि में भरी जावें।
03. आवेदन पत्र में कॉट-छाँट वर्जित है। नवीन मान्यता के फार्म में कॉट-छाँट होने पर आवेदन अमान्य किया जा सकता है।
04. नवीन मान्यता आवेदन-पत्र के सभी बिन्दुओं की जानकारी देना अनिवार्य है। अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने पर मान्यता आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
05. नवीन मान्यता आवेदन-पत्र निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत किया जावे।
06. नवीन मान्यता आवेदन-पत्र में दिये गये सभी परिशिष्ट क्रमवार तथा प्रमाणित होना अनिवार्य है।
07. मण्डल के मान्यता विनियम 1994 एवं समय-समय पर किये गए संशोधनों के अनुरूप वांछित पूर्तियाँ करना अत्यन्त आवश्यक है। यदि आवेदन पत्र में पूरी जानकारी नहीं दी गई अथवा निर्धारित शुल्क / विलम्ब शुल्क जमा नहीं कराया गया तो मान्यता विनियम के विनियम नौ के तहत आवेदन पत्र बिना कारण बताए अस्वीकार कर दिया जावेगा।
08. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि कक्षा 9वीं प्रारम्भ करने से ढाई माह पहले 15 अप्रैल है किन्तु 6 माह पूर्व (1 जनवरी तक) आवेदन देना अधिक उचित होगा ताकि 9वीं कक्षा प्रारंभ करने से पहले आवेदन पत्र पर निर्णय लिया जा सके।
09. वर्ष 2009 की हाईस्कूल/बोर्ड परीक्षा 10वीं में छात्र भेजने के लिए, कक्षा 9वीं प्रारम्भ जून-जुलाई के पूर्व 15 अप्रैल 2007 के बाद आवेदन प्रस्तुत करने पर रु. 2000/- विलम्ब शुल्क लगेगा तथा 30 जून के बाद रु. 4000/- विलम्ब शुल्क के साथ 31 जुलाई 2007 तक मान्य होगा। 31 जुलाई के बाद आवेदन ग्राह्य नहीं किया जायेगा।
10. उपरोक्तानुसार पूर्तियाँ कर नवीन मान्यता आवेदन-पत्र मण्डल में भेजने का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्राचार्य का है। आवेदन पत्र निर्देशानुसार प्राप्त न होने पर यदि आवेदन-पत्र निरस्त किए जाते हैं तो उसके लिए संबंधित संस्था की जिम्मेदारी होगी।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा अनुकूलित

“मान्यता विनियम 1994”

माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम 1965 (1965 का 23) की धारा 28 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश के मान्यता सम्बन्धी विनियम एतद् द्वारा सभी की जानकारी के लिए जारी किए जाते हैं :-

- (एक) इसे माध्यमिक शिक्षा मण्डल (मान्यता) विनियम 1994 कहा जा सकेगा ।
- (दो) जब तक अन्यथा प्रयोजन न हो.....
1. अधिनियम से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 ।
 2. मण्डल से तात्पर्य है माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश जो अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है ।
 3. संभागीय प्रबंध समिति से तात्पर्य है, अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत गठित संभागीय प्रबंध समिति ।
 4. अध्यक्ष से तात्पर्य है, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल जो धारा 6 के अन्तर्गत नियुक्ति किया गया हो ।
 5. सचिव से तात्पर्य है सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल ।
- (तीन) कोई भी शैक्षणिक संस्था जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, मण्डल द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में परीक्षार्थी नहीं भेज पायेगी ।
- (चार) जो शैक्षणिक संस्था मण्डल द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए मान्यता पाने की इच्छा रखती है, वह मण्डल की संबंधित परीक्षा जिसमें संस्था अपने छात्र भेजना चाहती है की मान्यता के लिए सचिव अथवा सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी को दो वर्ष पूर्व 15 अप्रैल तक निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगी ।
- परन्तु यह भी कि यदि मण्डल द्वारा किसी संस्था को संस्था इतिहास देखते हुए आवेदन पत्र एवं शुल्क प्राप्त होने पर यह अधिकार होगा कि वह एक साथ 10 वर्षों से अनाधिक अवधि के लिए मान्यता प्रदाय कर सके।
- उदाहरण : यदि संस्था मार्च 2009 में आयोजित परीक्षा के लिए छात्र भेजना चाहती है तो आवेदन पत्र 15 अप्रैल 2007 तक भेजना होगा ।
- मण्डल द्वारा निर्धारित 10 वर्ष की मान्यता शुल्क की राशि एक मुश्त जमा करने पर स्थायी मान्यता निम्नानुसार प्रावधान के अन्तर्गत दी जा सकेगी ।
1. लगातार दो वर्ष से मण्डल की मान्यता प्राप्त संस्था ही स्थायी मान्यता के लिये आवेदन कर सकेगी ।
 2. मान्यता संबंधी अर्हताएँ पूर्ण नहीं करने पर मण्डल को ऐसी संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा संस्था द्वारा पूर्व में जमा मान्यता शुल्क की राशि जप्त कर ली जावेगी तथा ऐसी संस्थाओं को नवीन मान्यता के लिये पुनः शुल्क जमा करना होगा ।
- (पाँच) यदि कोई शैक्षणिक संस्था निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकती तो उसे मान्यता संबंधी निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देते हुए 30 जून तक आवेदन पत्र देने की अनुमति होगी।
- (छः) 30 जून के पश्चात् प्राप्त मान्यता आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा । परन्तु विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष 31 जुलाई तक का समय दे सकेंगे ।
- (सात) मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप में होगा और उसमें निर्धारित प्रपत्र संलग्न करना होगा। विशेष रूप से निम्न बातों के बारे में जानकारी देना होगा-
1. संस्था की सामान्य सभा तथा / अथवा प्रबन्ध मण्डल के गठन की रूप रेखा ।
 2. प्रबन्धक अथवा सचिव का नाम ।
 3. शैक्षणिक संस्था के स्टॉफ की योग्यता तथा उनके लिए निर्धारित वेतन तथा वेतनमान ।

4. परीक्षा या परीक्षायें जिनके लिए मान्यता चाही गई है।
 5. संस्था द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय।
 6. माध्यम जिसमें शिक्षा प्रदाय की जायेगी।
 7. कक्षाओं के उपलब्ध स्थान।
 8. छात्रों के स्वास्थ्य, खेलकूद तथा अन्शासन के बारे में किए गये प्रावधान।
 9. छात्रों तथा अध्यापकों के लिए पुस्तकालय हेतु किए गए प्रबंध तथा अन्य उपकरणों की सुविधा।
 10. शैक्षणिक संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी। गत वर्ष की वित्तीय स्थिति बताने वाले प्रमाण आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
 11. छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क तथा अन्य राशियाँ।
 12. छात्रों को दी जाने वाली छात्र वृत्ति अथवा अन्य वित्तीय रियायत।
 13. प्रत्येक कक्षा अथवा सेक्शन में छात्रों की संख्या।
 14. भवन, प्रयोगशाला, फर्नीचर तथा खेलकूद व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी।
- (आठ) यदि शैक्षणिक संस्था पूर्व में मान्यता प्राप्त है तथा एक या एक से अधिक विषयों में मान्यता चाहती है तो उसे प्रारूप में दो आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित शुल्क देना होगा।
- (नौ) यदि आवेदन पत्र में पूरी जानकारी नहीं दी गई है अथवा निर्धारित शुल्क/विलम्ब शुल्क जमा नहीं कराया गया है तो आवेदन पत्र बिना कारण बताए अस्वीकार कर दिया जावेगा।
- (दस) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सचिव द्वारा संबंधित जिलाध्यक्ष, संयुक्त संचालक (शिक्षा)/ जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जायेगी और उनके आधार पर आवेदन पत्र पर निर्णय लिया जायेगा।
- (ग्यारह) मण्डल अपने अधिकारी या अपने द्वारा नामित किसी अधिकारी या व्यक्ति से संस्था का निरीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र रहेगा और संस्था का यह दायित्व होगा कि ऐसे अधिकारी अथवा नियुक्त व्यक्ति को पूरा सहयोग प्रदान करें और चाही गई जानकारी उपलब्ध करायें।
- (बारह) यदि मण्डल, कोई अन्य जानकारी चाहे तो शैक्षणिक संस्था को इसे उपलब्ध कराना होगा।
- (तेरह) मण्डल द्वारा सम्पूर्ण जानकारी पर विचार करने के पश्चात् संस्था का आवेदन पत्र-
1. मान्य किया जा सकेगा।
 2. अमान्य किया जा सकेगा।
 3. सशर्त मान्य किया जा सकेगा। इन शर्तों को पूरा करने की समय अवधि का बंधन किया जा सकेगा। संस्था के लिए इस अवधि में इन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा अन्यथा मान्यता स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
- (चौदह) शैक्षणिक संस्था को मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर दी जायेगी-
1. मण्डल के किसी अधिकारी अथवा मण्डल द्वारा नियुक्ति किसी भी व्यक्ति द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जा सकेगा।
 2. यदि किसी माध्यमिक शिक्षा विद्यालय अथवा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था है तो वह शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होगी।
 3. मण्डल द्वारा चाही गई सभी जानकारी एवं उनके द्वारा निर्धारित सभी प्रपत्र मण्डल को नियततिथि तक भिजवाना होगा।
 4. संस्था किसी अन्य मण्डल, विश्व विद्यालय या परीक्षण संस्था की किसी भी समतुल्य परीक्षा के लिए छात्रों को प्रशिक्षित नहीं करेगी और न ही ऐसे छात्रों को ऐसी परीक्षा में भिजवाने का प्रबंध या प्रयास करेगी।
 5. संस्था को छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार कराना पड़ेगा और उनकी शारीरिक शिक्षा के लिए प्रबंध करना होगा।

6. शैक्षणिक संस्था द्वारा विद्यालय में साफ सफाई रखी जायेगी ।
7. संस्था द्वारा किसी भी कक्षा अथवा कक्षा के भाग में 45 से अधिक छात्रों की भर्ती नहीं की जायेगी ।
8. संस्था का भवन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए उपलब्ध रहेगा और उसमें इसके लिए स्टॉफ, फर्नीचर तथा उपकरण इत्यादि भी मण्डल को उपलब्ध होंगे । मण्डल इसका उपयोग परीक्षा आयोजित करने या किसी अन्य कार्य के लिए कर सकेगा ।
9. शैक्षणिक संस्था का कोई भी अध्यापक किसी राजनैतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा ।
10. शैक्षणिक संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी ।
11. संस्था की प्रबन्ध समिति में अधिक से अधिक 10 सदस्य होंगे जिनमें संस्था का प्राचार्य शामिल होगा और दो सदस्य मण्डल अथवा संयुक्त संचालक (शिक्षा) द्वारा नियुक्त व्यक्ति होंगे । यदि इस प्रकार का प्रावधान संस्था के नियमों में न हो तो उसे अपने नियमों में परिवर्तन करना होगा ।
12. शैक्षणिक संस्था के भवन में समुचित स्थान उपलब्ध होगा और पुस्तकालय प्रयोगशाला इत्यादि के लिए सुविधा उपलब्ध होगी ।
13. शैक्षणिक संस्था द्वारा कमरे के भीतर अथवा बाहर खेलों के आयोजन के लिए स्थान उपलब्ध कराया जायेगा ।
14. शैक्षणिक संस्था द्वारा विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त फर्नीचर एवं उपकरण मण्डल के संतोष के लायक उपलब्ध कराना होगा ।
15. शैक्षणिक संस्था के बजट में संस्था को पुस्तकालय, प्रयोगशाला इत्यादि के लिए समुचित राशि उपलब्ध कराना होगी ।
16. शैक्षणिक संस्था द्वारा शासकीय संस्था के समान योग्यता प्राप्त अध्यापन स्टॉफ तथा अन्य स्टॉफ रखा जायेगा ।
17. शैक्षणिक संस्था द्वारा अस्थायी मान्यता चाहने की दशा में 10,000 रुपये तथा स्थायी मान्यता चाहने की दशा में रुपये 25,000 (पच्चीस हजार) की एक अक्षय निधि बनाने का प्रावधान करना होगा । अक्षय निधि संस्था के प्राचार्य तथा संयुक्त संचालक/उप-संचालक, शिक्षण के संयुक्त खाते में जमा रहेगा ।
18. संस्था द्वारा विद्यालय में भर्ती प्रत्येक छात्र का मण्डल के साथ नामांकन कराना होगा ।
19. संस्था द्वारा 31 जुलाई के पश्चात किसी भी छात्र को मण्डल की पूर्वानुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा । परन्तु जो विद्यालय एक ही संस्था द्वारा विभिन्न नगरों में संचालित होंगे उनमें में किसी एक विद्यालय से अन्य विद्यालय में स्थानान्तर हो सकेगा ।
20. संस्था द्वारा किसी भी छात्र को दसवीं अथवा बारहवीं में सीधा प्रवेश नहीं दिया जायेगा । परन्तु यदि कोई स्थान इन कक्षाओं में सत्र के दौरान रिक्त होते हैं तो अप्रैल में मण्डल को इसकी सूचना देना होगी और इस संख्या तक प्रवेश दिया जा सकेगा ।
21. माध्यमिक शिक्षा मण्डल में मान्यता प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की विभागीय अनुमति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(पन्द्रह) मण्डल द्वारा जिन शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाती है, उसकी एक सूची तैयार की जाकर यथासंभव प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह में प्रकाशित करना होगी । उसमें उन परीक्षकों का उल्लेख होगा जिनके लिए मान्यता दी गई है और मान्यता की अवधि के साथ ही मान्यता प्राप्त विषयों का भी उल्लेख किया जायेगा ।

(सोलह) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को मण्डल द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र दिया जायेगा । इस प्रमाण पत्र को प्राचार्य के कक्षा अथवा कार्यालय में स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थान प्रदर्शित करना होगा ।

(सत्रह) मण्डल द्वारा किसी भी शैक्षणिक संस्था का निरीक्षण करने का अधिकार, किसी शिक्षा अधिकारी अथवा व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्तियों की समिति को दिया जा सकेगा और ऐसा आयोजन 3 वर्ष में कम से कम एक बार करना होगा । यह समिति अथवा अधिकारी मण्डल को अपना प्रतिवेदन उन बिन्दुओं पर प्रस्तुत करेंगे जो कि निर्धारित किये गये हों या जिनके लिये विशेष रूप से निर्देशित किया गया हो । शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा मण्डल को शैक्षणिक संस्था में किसी भी कमी के लिए प्रतिवेदन भेजने का अधिकार होगा ।

- (अठारह) शैक्षणिक संस्था के प्राचार्य द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को संस्था के प्रबन्ध मण्डल या संस्था के स्टॉफ की संख्या अथवा योग्यता में किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करना होगा।
- (उन्नीस) यदि मण्डल को इस बात समाधान हो जाता है कि कोई शैक्षणिक संस्था जिसे मण्डल द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, उन सभी शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हो गई है अथवा अन्य कारण से मान्यता दी जाना नहीं है तो मण्डल को यह अधिकार होगा कि उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाये। परन्तु मान्यता रद्द करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा। यदि कोई लिखित प्रतिवेदन संस्था द्वारा दिया जाता है तो इस पर विचार करना होगा, परन्तु यह भी कि इस प्रकार की मान्यता रद्द करते समय संस्था के छात्रों को एक माह की अवधि दी जाये ताकि वे राज्य की किसी अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में प्रवेश ले सकें।
- (बीस) मण्डल द्वारा मान्यता समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नानुसार सदस्य रहेंगे—
1. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल
 2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल
 3. आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा शिक्षा संचालनालय का नामित एक अधिकारी
 4. मण्डल के शासी परिषद द्वारा नियुक्त 3 सदस्य।
- अध्यक्ष, मान्यता समिति के अध्यक्ष एवं सचिव, मान्यता समिति के सचिव रहेंगे।
- मान्यता समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह संस्थाओं तथा विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी नीति निर्धारित सिद्धान्त समय-समय पर तय करें।
- (इक्कीस) मान्यता समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। यथा सम्भव यह बैठक मार्च अप्रैल माह में आयोजित की जायेगी।
- (बाईस) यदि इन नियमों के बारे में कोई विवाद होता है या अन्य कोई स्पष्टीकरण आवश्यक है तो अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
- (तेईस) प्रत्येक वर्ष मार्च में मान्यता शुल्क तथा विलम्ब शुल्क मण्डल द्वारा तय किए जायेंगे।
- (चौबीस) उपरोक्त मान्यता संबंधी विनियम प्रकाशित होने पर पूर्व में 17 अप्रैल, 1967 को प्रचलित मान्यता सम्बन्धी विनियम जिनका उल्लेख विनियम क्रमांक 50 से 69 में है, विलोपित माने जायेंगे।



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्र. 12/मान्यता/2001-2002/

रायपुर, दिनांक 19-12-2001

निर्देश

माध्यमिक शिक्षा मंडल विनियम 94 के विनियम सात एवं चौदह के अन्तर्गत प्रावधानित व्यवस्था के तहत निम्नानुसार मापदण्डों के अनुरूप अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में सामान्य तौर पर मूलभूत सुविधाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. भूमि-

- (1) संस्था की भूमि एवं भवन स्वयं के स्वामित्व के होना चाहिये।
- (2) यदि नई संस्था प्रारंभ करते समय संस्था की स्वयं की स्वामित्व की भूमि नहीं है तो भूमि क्रय करने एवं भवन निर्माण की कार्य योजना प्रस्तुत करना होगा।
- (3) संस्था को प्रस्तुत कार्य योजना का तीन वर्ष में क्रियान्वयन करना आवश्यक होगा।
- (4) संस्था के पास अपने स्वामित्व की कम से कम दो एकड़ भूमि होना चाहिए।
- (5) यदि संस्था में कुल छात्र 1500 से अधिक हैं या प्रस्तावित है तो कम से कम 3 एकड़ भूमि होना आवश्यक है।
- (6) यदि शाला राजभोगीशहर में घनी बस्ती में है तो शाला परिसर कम से कम एक एकड़ में हो और छात्र-छात्रों के खेलकूद की गतिविधियों के लिए निकटतम दूरी पर कोई खेलकूद का मैदान होना चाहिये।
- (7) अस्थाई व्यवस्था में भी कम से कम 1/2 एकड़ खुली भूमि खेल के लिए अनिवार्य रूप से हो।

2. भवन-

- (1) शाला भवन का निर्मित क्षेत्रफल हाईस्कूल के लिए न्यूनतम 2000 वर्गफीट व हायर सेकेण्डरी के लिए 2800 वर्गफीट होना अनिवार्य है। यदि संस्था प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी की कक्षाएँ चला रही हो तो न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल 4000 वर्गफीट होना चाहिये।

- (2) शाला भवन में निम्नानुसार न्यूनतम संख्या में कक्षाओं का होना अनिवार्य है :-

(अ) प्राचार्य, कार्यालय, स्टॉफ, पुस्तकालय व प्रयोगशाला (हाई स्कूल) के लिए एक-एक कक्ष अर्थात्	5 कक्ष
(ब) केवल हाई स्कूल के लिए कक्षाएँ	2 कक्ष

	कुल 7 कक्ष

	न्यूनतम

- नोट : 1. यदि संस्था को हायर सेकेण्डरी कक्षाओं के लिए मान्यता लेता है तो विज्ञान संकाय के लिए तीन कक्ष प्रयोगशाला हेतु अतिरिक्त निर्माण कराना आवश्यक होगा।
2. जितने संकाय एवं सेक्शन होंगे, प्रत्येक सेक्शन के लिए एक-एक कक्ष निर्माण कराना होगा।
 3. 45 छात्रों तक के लिए एक कक्ष, उससे अधिक संख्या होने पर प्रत्येक 45 छात्रों के लिए एक-एक कक्ष का अतिरिक्त निर्माण कराना आवश्यक होगा।
 4. एक सेक्शन में अधिक से अधिक 45 छात्र और कम से कम 15 छात्र होना आवश्यक है।
 5. छात्र-छात्राओं की पाठ्यतेत्तर गतिविधियों के लिए भवन में एक बरामदा या हाल होना आवश्यक है जहाँ संस्था के कार्यक्रमों को आयोजित किया जा सके।
 6. बड़ी एवं शहरी क्षेत्र की संस्थाओं में अध्यापनकक्षाओं का निर्माण इस प्रकार हो कि प्रत्येक छात्र को 8 वर्गफुट स्थान मिल सके; कस्बाई क्षेत्र में 6 वर्गफुट एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 वर्गफुट स्थान मिलना सुनिश्चित हो।
 7. यदि संस्था प्राथमिक अथवा मिडिल स्कूल चलाती है तो उन छात्रों की संख्या के अनुपात में अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए या दो पाली में चलाने पर उतने अनुपात में कक्षाएँ होनी चाहिये।
 8. भूमि एवं भवन का नक्शा प्राधिकृत व्यक्ति/संस्था द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

3. पेयजल व्यवस्था :

संस्था को शुद्ध एवं शीतल पेय जल की व्यवस्था कराना अनिवार्य है। शहरी क्षेत्र में खास तौर से नगर निगम क्षेत्र में, फिल्टर किया हुआ एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था हो। ग्रामीण क्षेत्र में टंका हुआ शुद्ध पेयजल या नलकूप भी मान्य किया जा सकता है।

4. पुस्तकालय :

1. संस्था के पुस्तकालय में, पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर शहरी क्षेत्र में कम से कम 3 पुस्तकें प्रति छात्र और ग्रामीण क्षेत्र में एक पुस्तक प्रति छात्र हो। पुस्तकालय के रख रखाव के लिए लायब्रेरी अटेन्डेन्ट हो तथा छात्र-छात्राओं को लायब्रेरी कार्ड पर पुस्तकें ईश्यू करने की सुविधा उपलब्ध हो। ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्य किसी शिक्षक को भी सौंपा जा सकता है।
2. छात्र-छात्रायें, लायब्रेरी के कक्ष में बैठकर पत्र-पत्रिकायें पढ़ सकें, इस हेतु स्थान एवं फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था हो।

5. प्रयोगशाला :

1. हाई स्कूल तक के छात्रों के लिए प्रयोगशाला का एक कक्ष होना आवश्यक है जिसमें छात्रों के अध्यापन कार्य में अध्ययन हेतु शामिल किये गये सभी उपकरण उपलब्ध हो जिनका अवलोकन कराकर अध्यापन कार्य कराया जा सके। इसमें पर्यावरण से संबंधित, मानव आकृति से संबंधित सामग्री विशेष रूप से रखी जावे।
2. हायर सेकेण्डरी में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीवन विज्ञान की पृथक-पृथक प्रयोगशाला होना आवश्यक है। प्रयोगशाला में इतना स्थान होना चाहिए जहाँ मेज के सामने खड़े होकर प्रयोग संपादित कर सकें।

- अ- भौतिक शास्त्र में फिजीकल बैलेंस, प्रिज्म, गुटका, चुम्बकीय सुई, मीटर ब्रिज पोस्ट ऑफिस बाक्स, उत्तल, अवतल लेंस/मिरर, चुम्बक, पेंडुलम, वर्नियर कैलीपर्स, स्फेरोमीटर, गैल्वनोमीटर, स्क्रूगेज, एमीटर, ओम्स ला जैसे उपकरणों की समुचित व्यवस्था हो।
- ब- रसायन शास्त्र में एसिड रेडीकल्स एवं बेसिक रेडीकल्स ज्ञात करने के लिए परीक्षण हेतु आवश्यक सामग्री हो। टाईट्रेशन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में व्युरेट, पिपेट, कोनीकल फलास्क, ट्यूब्स, व्युरेट स्टेण्ड, फनल्स और बीकर्स की व्यवस्था हो।
- स- कार्डेडा एवं नान कार्डेडा समूह के प्रत्येक फेमिली के स्पेसीमेन्स हो, जिनका छात्रों को अवलोकन कराया जा सके तथा डाईकाट एवं मोनो काट पौधों के तनों के स्लाईड देखने हेतु माइक्रो स्कोप की व्यवस्था हो।
- रसायन विज्ञान की लेब में बर्नर की संख्या शहरी एक प्रति दो छात्र पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रति 4 छात्रों पर एक बर्नर की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
3. हाई स्कूल स्तर तक की प्रयोगशाला के लिये प्रयोग संपादित करने हेतु एक लेब अस्सिस्टेंट की व्यवस्था हो परंतु हायर सेकेण्डरी प्रयोगशालाओं के लिए पृथक-पृथक लेब अस्सिस्टेंट की समुचित व्यवस्था हो।

6. खेल का मैदान :

संस्थाओं में कम के कम दो खेलों के ग्राउण्ड की व्यवस्था करना होगी, जैसे हॉकी, फुटबाल, बालिबॉल, बैडमिंटन इत्यादि। शहरी क्षेत्रों में संस्थाओं को इन्डोर गेम्स के लिए भी व्यवस्था करना अनिवार्य है। संस्थाओं में भवन से लगे हुए खेल मैदान नहीं हैं उनमें निकटतम दूरी पर खेल के मैदान की तलाश कर छात्रों को खेल की सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

7. प्रसाधन :

संस्था के छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक टॉयलेट की व्यवस्था की जानी चाहिए। यथासंभव स्टॉफ के लिए पृथक टॉयलेट की व्यवस्था हो। जिस संस्था में 100 से अधिक छात्र-छात्रायें हैं वहाँ प्रति 100 छात्र पर एक-एक अतिरिक्त टॉयलेट की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसकी साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक होगा।

8. टीचिंग स्टॉफ :

हायर सेकेण्डरी स्कूल में एक ही संकाय के छात्रों को पढ़ाने के लिए कम से कम प्रत्येक विषय पर एक व्याख्याता होना चाहिए। इस प्रकार 5 व्याख्याता होना आवश्यक है। एक संकाय के बाद अन्य संकाय के प्रारंभ होने पर प्रति संकाय 3 संबंधित विषय के व्याख्याताओं की नियुक्ति की जाये। जहाँ 4 से अधिक सेक्शन हैं वहाँ संबंधित विषय के दो-दो व्याख्याताओं की व्यवस्था की जाये। इसी प्रकार हाई स्कूल में 6 शिक्षकों का होना आवश्यक है और यह ध्यान रखा जाये कि प्रति सेक्शन 1^{1/2} शिक्षक/व्याख्याता के अनुपात में नियुक्तियों की जाये ताकि अध्यापन का कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

9. फर्नीचर व्यवस्था :

स्टॉफ व कार्यालय फर्नीचर के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं के लिए भी कक्षाओं में फर्नीचर होना चाहिए। यह मेट/कुर्सी अथवा डेस्क/बेंच हो सकते हैं।

10. विद्युत व्यवस्था :

जिन स्थानों में बिजली है वहाँ की शालाओं में बिजली व पंखों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।

11. वित्तीय व्यवस्था :

संस्था को वित्तीय व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट विवरण देना होगा कि उनकी संस्था में प्रति वर्ष हुए व्यय की आपूर्ति किन-किन आय स्रोतों से की गई है, के विवरण मदवार दिये जायें। संस्था को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि संस्था के खाते में इतनी राशि उपलब्ध है कि वह आकस्मिक स्थिति में शिक्षकों को कम से कम तीन माह का वेतन किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर भुगतान कर सके।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक/13/मान्यता/2001-2002/

रायपुर, दिनांक 19/12/2001

प्रतिलिपि :

- माननीय मंत्री, शालेय शिक्षा के निजी सचिव की ओर सूचनार्थ।
- माननीय राज्य मंत्री, शालेय शिक्षा के निजी सचिव की ओर सूचनार्थ।
- प्रमुख सचिव छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग/प्रमुख सचिव छ.ग. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- आयुक्त/लोक शिक्षण/आयुक्त आदिवासी विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ।
- अतिरिक्त सचिव/पंजीयक (मान्यता)/पंजीयक (परीक्षा)/सहायक सचिव, मान्यता छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- समस्त प्राचार्य/प्राचार्या अशासकीय शिक्षण संस्थाओं की ओर भेजकर सूचित किया जाता है कि छात्र/छात्राओं को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए उपरोक्तानुसार न्यूनतम मापदंड निर्धारित कर निर्देश जारी किये जा रहे हैं। कृपया सुनिश्चित करने कि उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार संस्था का संचालन किया जा रहा है। ऐसा न होने पर आगामी वर्ष की मान्यता पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

आवेदन पत्र क्रमांक.....
(दो प्रति में जमा करें)

अशासकीय संस्थाओं के लिये
नवीन मान्यता हेतु आवेदन-पत्र
हाईस्कूल परीक्षा - 200.....

15 अप्रैल, सामान्य तिथि
मान्यता शुल्क रु. 1400/- + 1400/-
पंजीयन शुल्क रु. 2000/-
निरीक्षण शुल्क रु. 3500/-
30 जून, विलम्ब शुल्क रु. 2000/-
31 जुलाई, विलम्ब शुल्क रु. 4000/-

(मान्यता विनियम 1994 के विनियम 7 एवं 14 के अधीन)

हाईस्कूल प्रारंभ करने अर्थात् 9वीं कक्षा प्रारंभ करने के कम से कम 6 माह पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे।

- बैंक ड्राफ्ट क्रमांक _____ दिनांक _____ राशि _____ बैंक _____
1. परीक्षा का वर्ष जिसमें परीक्षार्थी शामिल होंगे _____
 2. संस्था का नाम _____
स्थान _____ जिला _____
 3. संस्था का पंजीयन क्रमांक _____ दिनांक _____
स्थान _____ (पंजीयन प्रमाण-पत्र की फोटोकॉपी संलग्न की जाये - परिशिष्ट-I)
 4. विभागीय अनुमति का विवरण :
कक्षा _____ वर्ष _____ (विभागीय अनुमति की स्थापित फोटोकॉपी संलग्न करें - परिशिष्ट-II)
 5. कक्षा नौवीं का अंतिम मान्यता आदेश क्र. _____ दिनांक _____ वर्ष _____
 6. क्या पूर्व में मण्डल में हाई स्कूल की नवीन मान्यता हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था ? यदि हाँ तो
(क) आवेदन दिनांक _____ (ख) परीक्षा वर्ष जिसके लिये मान्यता चाही गई थी _____
(यदि आवेदन-पत्र की प्रति उपलब्ध है तो संलग्न करें - परिशिष्ट-III)
 7. प्रबंध समिति के सदस्यों की संख्या _____
(प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्न करें तथा समिति में शासकीय सदस्य को पृथक से अंकित करें) - परिशिष्ट-IV क एवं ख)
 8. शिक्षण संस्था का स्थायी पता _____
_____ पिन कोड _____ दूरभाष _____
 9. समिति के प्रबंधक का नाम एवं पता _____
_____ पिन कोड _____ दूरभाष _____
 10. क्या समिति/संस्था द्वारा अन्य शालाएँ संचालित हैं ? _____ हाँ / नहीं
(यदि हाँ तो शालाओं के नाम व पते की सूची संलग्न करें - परिशिष्ट -V)
 11. संस्था के समीपस्थ डाकघर का नाम _____
_____ दूरी _____ कि.मी.
 12. संस्था किस क्षेत्र में स्थित है (कृपया ✓ करें)
(क) नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत / ग्राम पंचायत जनसंख्या
(ख) आदिवासी / गैर आदिवासी
 13. निकटतम पुलिस थाना / चौकी का नाम _____
शाला से दूरी _____ कि.मी.
 14. निकटतम 2 हाई स्कूलों के नाम व पूरे पते-
(1) शासकीय _____ (2) _____

दूरी _____ कि.मी. _____ दूरी _____ कि.मी. _____

(प्रस्तावित शाला स्थापित समकक्ष स्तर की शाला से कम से कम शहरी क्षेत्र में 1/2 कि.मी. और ग्रामीण क्षेत्र में 1 कि.मी. दूर होना चाहिये)

15. संस्था का प्रकार : को-एड (Co-ed) / बालक / कन्या शाला

16. विद्यालय में क्या प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक की कक्षाएँ चलाई जाती हैं ? यदि हाँ तो गत 3 वर्षों की छात्र संख्या अंकित की जाए। 8वीं का परीक्षाफल भी अंकित किया जाये।

वर्ष	वर्ष	वर्ष			
छात्र संख्या	परीक्षाफल	छात्र संख्या	परीक्षाफल	छात्र संख्या	परीक्षाफल
पहली.....		पहली.....		पहली.....	
दूसरी.....		दूसरी.....		दूसरी.....	
तीसरी.....		तीसरी.....		तीसरी.....	
चौथी.....		चौथी.....		चौथी.....	
पांचवी.....		पांचवी.....		पांचवी.....	
छठवीं.....		छठवीं.....		छठवीं.....	
सातवीं.....		सातवीं.....		सातवीं.....	
आठवीं.....		आठवीं.....		आठवीं.....	
नवमी.....		नवमी.....		नवमी.....	
योग.....		योग.....		योग.....	

17. यदि दसवीं संचालित नहीं हो तो 09 वीं की संभावित संख्या.....

10वीं की संभावित संख्या..... योग.....

16. हाई स्कूल में पढ़ाये जाने वाले विषयों का विवरण दें-

माध्यम

- | | | |
|----------|----------|-----------|
| 1. _____ | 5. _____ | 9. _____ |
| 2. _____ | 6. _____ | 10. _____ |
| 3. _____ | 7. _____ | 11. _____ |
| 4. _____ | 8. _____ | 12. _____ |

19. निम्न कक्षाएँ कब से प्रारंभ हुई, वर्ष दर्शाएँ :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. प्राथमिक _____ | 2. मिडिल _____ |
| 3. कक्षा 9वीं _____ | 4. कक्षा 10वीं _____ |

20. स्टाॅफ का विवरण-

- अ- (1) प्राध्यापक का नाम _____ (2) शैक्षणिक योग्यता _____
(3) प्रथम नियुक्ति का दिनांक _____, दूरभाष क्रमांक (ओं) _____ (नि.) _____

ब- व्याख्याताओं की संख्या _____ स- उच्च श्रेणी शिक्षकों की संख्या _____

द- अन्य शिक्षक जिनमें पी.टी.आई. आदि हो की संख्या _____

(सभी शिक्षकों के नाम, योग्यता, प्रथम नियुक्ति दिनांक, प्राप्त होने वाले वेतन का विवरण संलग्न करें - परिशिष्ट-VI)

इ- कार्यालयीन स्टाॅफ का विवरण -

उच्च श्रेणी लिपिकों की संख्या _____ निम्न श्रेणी शिक्षकों की संख्या _____

अल्प कालीन लिपिकों की संख्या _____

(नाम, योग्यता, प्रथम नियुक्ति दिनांक, वेतन आदि दर्शाते हुए सूची प्रस्तुत करें - परिशिष्ट-VII)

21. संस्था के भवन से संबंधित विवरण-

1. भवन स्वयं के स्वामित्व का अथवा किराये का _____ स्वयं का/किराये का
2. यदि किराये का है तो मकान मालिक का नाम व पता : _____

3. भूमि का कुल क्षेत्रफल _____ वर्गफुट / एकड़ / हेक्टेयर
4. भवन का क्षेत्रफल _____ वर्गफुट
5. भवन में मंजिलों की संख्या _____
6. खुले आंगन का क्षेत्रफल _____ वर्गफुट

(भूमि एवं भवन स्वामित्व संबंधी अभिलेख की सत्यापित प्रति/किराये नामे की प्रति तथा २००० के भवन निर्माण की कार्य योजना - परिशिष्ट-VIII क व ख)

7. कुल कमरों की संख्या _____
8. जिन कमरों में कक्षाएँ आयोजित की जाती हैं, उनकी (क) संख्या _____
(ख) क्षेत्रफल _____ वर्गफुट
9. यदि संस्था दो पाली में लगाई जाती है तो (क) प्रथम पाली की कक्षाएँ _____
(ख) द्वितीय पाली कक्षाएँ _____

(शाला भवन के नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें - परिशिष्ट IX)

10. टॉयलेट (1) संख्या _____ (2) क्या छात्रों के लिए पृथक टायलेट है ? _____ हों/नहीं
स्त्रतो : (1) कुँआ / हेंड पम्प / नल
(2) यदि नल हो तो क्या वाटर कूलर है ? _____ हों/नहीं
(3) फिल्टर है ? _____ हों/नहीं
(4) यदि कुँआ है तो क्या घड़े रखे हैं ? (घड़े कितने रखे हैं) _____ हों/नहीं

23. प्रयोगशाला की जानकारी-

- कुल कमरों की संख्या जिसमें प्रयोगशाला संचालित की जा रही है _____
कुल क्षेत्रफल _____ वर्गफुट, मेजों की संख्या _____
बर्नर की संख्या _____ आलमारियों की संख्या _____
प्रयोगशाला पर गत दो वर्षों में किया गया व्यय : वर्ष _____ व्यय _____
वर्ष _____ व्यय _____
(जो उपकरण स्थाई है उनकी सूची पृथक से संलग्न की जाये। परिशिष्ट-X)

24. पुस्तकालय की जानकारी -

- (अ) (1) पुस्तकालय में कमरों की संख्या _____ (2) क्षेत्रफल _____ वर्गफुट
(3) पुस्तकें रखने के लिये उपयोग में लाई जाने वाली अलमारियों की संख्या _____
(4) पुस्तकालय में मेजों की संख्या _____ (5) कुर्सियों की संख्या _____
(6) गत तीन वर्षों में पुस्तकालय में पुस्तकों पर किये गये व्यय की जानकारी-
- | वर्ष | व्यय | क्रय की गई पुस्तकों की संख्या |
|------------|-------|-------------------------------|
| वर्ष | | |
| वर्ष | | |
| वर्ष | | |
- (ब) पुस्तकालय में पाठ्यतर रेफरेंस बुक्स का मापदण्ड शहरी क्षेत्र में कम से कम प्रति छात्र 6 पुस्तकें और ग्रामीण क्षेत्र में एक पुस्तक प्रति छात्र रखा गया है।
(1) मापदण्ड के हिसाब से कितनी पाठ्यतर (रेफरेंस बुक्स सहित) पुस्तकें होनी चाहिये _____
(2) उपलब्ध पाठ्यतर पुस्तकों की संख्या _____

- (3) पत्र-पत्रिकाओं की संख्या _____ (4) समाचार-पत्रों की संख्या _____
 (5) रिफरेंस बुक्स _____ (6) अन्य पाठ्य पुस्तकें _____

25. खेलकूद की जानकारी-

- (1) क्या खेलकूद का मैदान स्वयं का है ? हाँ / नहीं
 (2) यदि नहीं तो मैदान किसका है, विवरण दें, _____
 (3) यदि अशासकीय है तो किस प्रकार उपलब्ध है किराये पर या केवल उपयोग करने के लिये _____
 (4) उपलब्ध मैदान का क्षेत्रफल _____ वर्गफुट
 (5) खेलकूद के उपयोग में आने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल _____ वर्गफुट
 (6) संस्था में किन खेलों की व्यवस्था की गई है -

खेल का नाम	उपलब्ध सामग्री
1.
2.
3.
4.

- (7) गत दो वर्षों में खेलकूद के उपकरण क्रय करने पर किये गये व्यय का विवरण-

वर्ष _____ व्यय _____ वर्ष _____ व्यय _____

26. छात्र/छात्राओं के लिए फर्नीचर व्यवस्था :

मेजों की संख्या _____ कुर्सियों की संख्या _____
 डेस्क की संख्या _____ बेंच की संख्या _____
 इस प्रकार कुल _____ छात्र/छात्राएँ के बैठने के लिए फर्नीचर उपलब्ध है।

27. विद्युत व्यवस्था :

कमरों की संख्या _____ कुल बल्बों की संख्या _____
 कुल ट्यूबलाइट्स की संख्या _____ कुल पंखों की संख्या _____

28. स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्था बाबत जानकारी :

- (1) चिकित्सक का नाम _____ (2) चिकित्सक की शैक्षणिक योग्यता _____
 (3) चिकित्सक का पूरा पता : _____

- (4) अंतिम स्वास्थ्य परीक्षण दिनांक _____

29. विकलांग छात्रों के संबंध में जानकारी :

कुल विकलांग छात्र संख्या _____ (संस्था में अध्ययनरत विकलांग छात्रों का विवरण कक्षावार दिया जाये। परिशिष्ट XI)

30. वित्तीय स्थिति की जानकारी :

- (अ) गत तीन वर्षों में आय-व्यय के विवरण :

वर्ष	फीस से	अन्य स्रोत	कुल आय
.....
.....
.....

- (1) कुल व्यय _____ (2) पूंजीगत व्यय _____ (3) बैंक में जमा राशि _____

(कृपया अंतिम उपलब्ध आडिट रिपोर्ट की सत्यापित प्रति संलग्न करें - परिशिष्ट XII)

(ब) अन्य निधि के विवरण :

- (1) बैंक का नाम जहां खाते संचालित हैं _____
(2) संचालकर्ता का नाम _____
(3) खाते का नम्बर _____ (4) जमा राशि का विवरण _____
(5) छात्र से ली जाने वाली शुल्क का विवरण

	(क) ट्यूशन फीस	(ख) विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क
(1) प्राथमिक कक्षाओं से
(2) पूर्व माध्यमिक कक्षाओं से
(3) माध्यमिक कक्षाओं से
(4) उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं से

(स) छात्रवृत्ति के लिए यदि कोई प्रावधान है तो गत दो वर्षों का व्यय :

वर्ष _____ स्वीकृत राशि _____ व्यय _____

वर्ष _____ स्वीकृत राशि _____ व्यय _____

31. अक्षय निधि का विवरण : बैंक ड्राफ्ट क्रमांक _____ दिनांक _____ अवधि _____

हाई स्कूल के लिये रु. 20,000/- प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी के संयुक्त नाम से - विनियम चौदह (17)।

(फोटो प्रति संलग्न करें। परिशिष्ट XIII)

घोषणा

मैं _____ पिता श्री _____

संस्था _____

के प्राचार्य पद पर पदस्थ हूँ और मैंने नवीन मान्यता के लिए दी गई जानकारी का अध्ययन किया है और मैं घोषणा करता हूँ कि-

- (1) ऊपर दी गई जानकारी पूर्णतया सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है न ही किसी बात को बढ़ाकर बताया गया है।
- (2) संस्था को प्राधिकृत समिति संस्था द्वारा मान्यता संबंधी सभी नियमों का अध्ययन कर लिया है तथा वह एतद् द्वारा इन सभी शर्तों को मान्य करते हैं। (संबंधित प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न करें - परिशिष्ट XIV)
- (3) संस्था द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा समय-समय पर मांगे गये सभी पत्र भेजने की व्यवस्था की जावेगी तथा समय-समय पर दिये गये सभी निर्देश स्वीकार्य होंगे।

हस्ताक्षर _____

दिनांक _____

सील

संलग्न : परिशिष्ट (कुल संख्या भरे जिस परिशिष्ट को संलग्न किया है उस पर √ का निशान लगायें।)

टीप : मान्यता विनियम 1994 के 7 एवं 14 के अधीन नवीन मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी शाला में छात्र-छात्राओं के लिए निम्न आवश्यक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं अन्यथा निवा कारण दर्शाये आपका आवेदन अमान्य किया जा सकता है।